



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012026-268989
CG-DL-E-01012026-268989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5919]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 5919]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSHA 10, 1947

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2025

का.आ. 6119(अ).— पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार, विदेश मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर .723(अ), दिनांक 22 जुलाई, 2016, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 26 जुलाई, 2016 को प्रकाशित हुई थी, का अधिक्रमण करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए हों या किए जाने से रह गए हों, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत उन व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन म्यांमार संघ गणराज्य में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार द्वारा जारी किए गए विदेशी पंजीकरण प्रमाण पत्र रखते हैं, पासपोर्ट जारी करने की शक्ति, भारत के दूतावास, यांगून द्वारा प्रयोग की जा सकेगी, इस शर्त के अधीन कि ऐसे मामलों में उक्त दूतावास द्वारा पासपोर्ट एक समय में पाँच वर्ष की अवधि के लिए तथा केवल म्यांमार संघ गणराज्य के लिए मान्य अनुमोदन के साथ जारी किए जाएंगे।

2 यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी।

[फा. सं. VI/401/1/42/2015]

बी.एस. मुबारक, संयुक्त सचिव (पीएसपी) एवं
मुख्य पासपोर्ट अधिकारी (सीपीओ)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2025

S.O. 6119(E).— In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs number G.S.R. 723(E), dated 22nd July, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 26th July, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the power to issue passports to persons who are not citizens of India under section 20 of the said Act, in respect of persons of Indian origin residing in the Republic of the Union of Myanmar and holding Foreigners Registration Certificates issued by the Government of the Republic of the Union of Myanmar, may be exercised by the Embassy of India, Yangon, subject to the condition that passports in such cases may be granted by the said Embassy for a period of five years at a time and endorsed for the Republic of the Union of Myanmar only.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2026.

[F. No. VI/2015/42/1/401]

B.S. MUBARAK, Jt. Secy. (PSP) and Chief Passport Officer (CPO)